भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3462

(जिसका उत्तर सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

संभार क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा

3462. श्री रेबती त्रीपुराः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री संतोष कुमारः
श्री मनोज तिवारीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में शिपयार्ड और संभार क्षेत्र को अवसंरचना क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में निर्मित समुद्र तटीय पोतों को ऐसा ही दर्जा देने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया, योजना परिव्यय और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और इस सम्पूर्ण क्षेत्रक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार ने दिनांक 8 अप्रैल, 2016 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा 'शिपयार्ड' को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित वृहत सूची में शामिल कर लिया है। अधिसूचना के अनुसार ''शिपयार्ड'' को तैरने वाली अथवा भूमि आधारित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें वाटरफ्रंट, टर्निंग बेसिन, बर्थिंग और डॉकिंग सुविधा, स्लिपवे और/अथवा शिपलिफ्ट की जरूरी विशेषताएं उपलब्ध हैं और जो पोत निर्माण/मरम्मत/ब्रेकिंग की गतिविधियों को जारी रखने में समर्थ हैं।

सरकार ने दिनांक 14 नवम्बर, 2017 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा 'लॉजिस्टिक अवसंरचना'' को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित वृहत सूची में शामिल कर लिया है। अधिसूचना के अनुसार, ''लॉजिस्टिक अवसंरचना'' का तात्पर्य मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसमें 50 करोड़ के न्यूनतम निवेश तथा 10 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), 15 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश और 20,000 वर्ग फुट के न्यूनतम क्षेत्रफल वाली शीत श्रृंखला सुविधा तथा/अथवा 25 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश तथा 1 लाख वर्गफुट के न्यूनतम क्षेत्रफल वाली मालगोदाम सुविधा शामिल है।

(ग) और (घ): भारतीय शिपयार्ड में निर्मित तटीय पोतों को अवसंरचना का दर्जा देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****